

योजनान्तर्गत संबन्धता के लिये निजी अस्पतालों हेतु पात्रता की शर्तें

क्र.सं	श्रेणी	न्यूनतम बैड क्षमता	आंख, कान, दन्त, डायलिसिस डे-केयर प्रोसिजर से संबंधित अस्पतालों के लिए बैड क्षमता
1	संभागीय मुख्यालय *	50	20
2	जिला मुख्यालय (क्रम संख्या 1 व 3 को छोड़कर)	25	10
3	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, धौलपुर, सिरोही तथा शेष संभागीय एवं जिला मुख्यालय के शहरों को छोड़कर**	15	5

* जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर एवं उदयपुर शहर की नगर सीमा ।

** राज्य के जिला मुख्यालय के शहर को छोड़कर अन्य शहर / कस्बे में स्थित सभी अस्पताल ।